ज अदालत कलेक्टर अनुराग मुकाम बांदीकुई

.... बनाम .... हरिनारायण, [illegible], रामजीलाल प्रजापति [illegible] ग्राम मोजवाड़ा

क़िस्म मुकदमा स्थाई निषेधाज्ञा .... नं० 284/2021 .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.2.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र श्री अनुराग मोहन पुत्र राजेन्द्र मोहन ब्राह्मण निवासी मोजवाड़ा, शपथकर्ता पुत्र शिवनिवास पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी बहस आंशिक सुनी गई। बाकी बहस हेतु दिनांक 2.3.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
2-03-2022	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० वादी वकील द्वारा वाद स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादी गण इस आशय से पेश किया कि ग्राम मोजवाड़ा तहसील बसवा स्थित कृषि ख०नं० 1081/932, किता दो, ख०नं० 1083/943 रकबा 0.02 हे० रकबा 0.45 हे०, ख०नं० 928 रकबा 0.02 हे०, ख०नं० 1085/950 रकबा 0.66 हे०, ख०नं० 951 रकबा 0.81 हे०, 929 रकबा 0.66 हे० किता 6 रकबा 2.12 हे० के वादी [illegible] खातेदार [illegible] प्रतिवादी [illegible] में नकल जमाबन्दी [illegible] प्रतिवादी [illegible] प्रतिवादी कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है, प्रतिवादी [illegible] आये दिन वादी की स्वामित्व भूमि में दखल [illegible] उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2022.04.17 17:46:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म में जारी
	करते हैं वादी के खेत (ख० 1083/947 पैदा करते ओर की जाय मेड को तोड़ देने के साथ ओर की करने पर आमादा है प्रतिवादीगण है जबरन कब्जा करने से पाबन्द किया जावे को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादी वाद पत्र राजि० कर तलबी प्रतिवादीगण राजि23 तलबाना की गई, बावजूद तामील तलबी होने के प्रतिवादीगण एवं उनके कोई विधिक प्रति निधि उप० नहीं आये कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई वादी द्वारा वाद की ताईद में शपथ साक्ष्य स्वयं अडराम मोहन, एवं रामस्वरूप पत्र शिवकल्याण प्रस्तुत किये, वादी वकील बहस सुनी गई। बहस में वादी वकील ने वाद में वर्णित तथ्यों का दोहराव किया प्रतिवादीगण का वादी भूमि से कोई सरोकार सम्बन्ध नहीं है, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे मैंने वादी/वादी वकील वाद स्थाई निषेधाज्ञा सम्बन्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी का अवलोकन किया, बहस वादी वकील पर मनन किया विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी खातेदार की खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, प्रतिवादीगण 1-4 का कोई सम्बन्ध नहीं है [illegible] प्रतिवादीगण बावजूद राजि [illegible] एक तरफा [illegible] हस्ती लिखित एवं अप्रतिकृत विवेचन से वादी वाद किन्तु प्रतिवादीगण [illegible] स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।	

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2022.04.17 17:46:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अतः आदेश है कि विवादित भूमि बाबत वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण 1 ल० 4 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 1 ल० 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि ग्राम भोजवाड़ा तहसील [illegible] जिला दौसा स्थित वादी खातेदारी भूमि ख.नं० 1083/943 रकबा 0.02 हे० में वादी कब्जे-काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे जबरन अवैध कब्जा नहीं करे तथा वादी की भूमि खातेदारी में बनी खाम [illegible] को नहीं तोड़े। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
निर्णय सुनाया गया।	
(नीरज कुमार मीना) उपखण्ड अधिकारी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2022.04.17 17:46:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner